न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः— 100 / 2025

प्रार्थीया	**बनाम**	**अप्रार्थी**
1. पपली देवी पत्नि विष्णु प्रसाद भाटी जाति बावरी निवासी खिनावड़ी, तह0 जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री गोविन्द प्रसाद, श्री तरूण मेवाड़ा अधिवक्तागण प्रार्थीया उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 01-5-2025

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा गांव साण्डिया पटवार हल्का साण्डिया तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में प्रार्थीया एवं अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ख0नं0 1625 रकबा 1.9400 है0 बा0अ0 की आयी हुई स्थित है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारीयों के द्वारा पेन ऑफ स्लिफ से सहवन से बिना सरकारी / अर्द्धसरकारी दस्तावेजों का अवलोकन किये प्रार्थीया का नाम पपली देवी के स्थान पर पपीया देवी अंकित कर दिया गया जो कि सद्भाविक रूप से सहवन से दर्ज किया गया है, जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी / अर्द्धसरकारी दस्तावेजों में प्रार्थीया का नाम पपली देवी अंकित है, जिसको दुरूस्त करवाने की प्रार्थीया अधिकारिणी हैं। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम पपीया देवी के स्थान पर पपली देवी अंकित कर राजस्व रेकर्ड में संशोधन किया जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर पैरा सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा साण्डिया में स्थित होना, पैरा सं0 2 से 3 का जबाब प्रार्थी स्वयं न्यायालय में साक्ष्य सबूत पेश कर साबित करना तथा पैरा सं0 04, 05 का कानूनी होना अंकित किया हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया का नाम पपीया देवी के स्थान पर पपली देवी दुरूस्त इन्द्राज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

प्रथम

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, अन्य दस्तावेजात का अवलोकन कर गहनता से अध्ययन किया गया। वस्तुतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य राजस्थान राज पत्र साधारण के 01/05/2025 के अंक 5, पेज संख्या 2301 पर नाम परिवर्तन की घोषणा बाबत प्रकाशित शपथ पत्र से प्रार्थीया का सही एवं वास्तविक नाम पपीया देवी नहीं होकर पपली देवी होने की संपुष्टि होती है। जिससे प्रार्थित भूमि में दर्ज पपीया देवी के स्थान पर सही व वास्तविक नाम पपली देवी दुरूस्त रूप से इन्द्राज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा गांव साण्डिया पटवार हल्का साण्डिया तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान की कृषि भूमि ख0नं0 1625 रकबा 1.9400 है0 बा0अ0 के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम पपीया देवी के स्थान पर पपली देवी दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के आदेश दिए जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 19/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)